न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर (आर.ए.एस.)

[illegible]दमा नम्बर 201 / 2022

दायर दिनांक–14.10.2022

मूली देवी पत्नी राधेश्याम जाति नाई निवासी जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......वादीया

बनाम

1– शंकरलाल पुत्र राधेश्याम
2– गेपाल पुत्र राधेश्याम
3– सुमित्रा पुत्री राधेश्याम
4– बिमला पुत्री राधेश्याम
समस्त जाति नाई निवासीगण जाखल तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।
5– विनोद पुत्र ओमप्रकाश
6– सुरेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश
7– निर्मला पुत्री ओमप्रकाश
8– रेखा पुत्री ओमप्रकाश
9– शिमला देवी पत्नी ओमप्रकाश
10– राकेश पुत्र मदनलाल
11– भंवरी देवी पत्नी मदनलाल
12– सुरेश पुत्र बृजलाल
13– ममता पुत्री बृजलाल
14– शारदा देवी पत्नी बृजलाल
समस्त जाति नाई निवासीगण मेहरा की ढाणी तन कोलाली तहसील व जिला झुन्झुनूं (राज0)।
15– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज0)।

.......प्रतिवादीगण

वकील वादीगण : – श्री पंकज कुमार जाँगिड़, श्री दयाराम सैनी
वकील प्रति. नं. : – एकपक्षीय

दावा : घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::– **दिनांक 16.01.2023**

वाद–पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि :–वाके ग्राम जाखल पटवार हल्का जाखल की सरहद में खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर स्थित है, जिसे आगे वाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की जावेगी, जो वादीया व प्रति[illegible]काश्त हक अधिकार की भूमि है, जिसके खातेदार काश्तकार वादीया व प्रतिवादीगण [illegible]त 14 है। उक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी वादीया व प्रतिवादीगण नं. 5 लगायत [illegible] पेमला, स्व0 भुदा उर्फ राधेश्याम, स्व0 मदनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा [illegible] रही है। नकल जमाबन्[illegible] के साथ प्रस्तुत है। यह कि वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत [illegible] की वंशावली वाद–पत्र के [illegible]2 में वर्णित अनुसार है :

यह कि उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि की खातेदारी पूर्व में पेमला उर्फ पेमाराम के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में रही है। उक्त पेमला के स्वर्गवास उपरान्त उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके चारो पुत्रो गीगा, भुदा उर्फ राधेश्याम, सीताराम, झाबर उर्फ जबला में उनके हिस्सेनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई, जो वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में इसी हिस्सेनुसार दर्जशुदा चली आ रही है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:36 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

गीगा लाऔलाद फौत हो गया जिसके कोई जायन्दा या गोद की संतान नहीं है, इसलिये उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसके हिस्से की भूमि उसके सगे भाईयों भुदा उर्फ राधेश्याम व झाबर उर्फ जबरा के वारीसो में बराबर–बराबर विभक्त होनी है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम दर्जशुदा चला आ रहा है, जिसके स्थान पर कोई नामान्तरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हुआ है, जिसके निकटतम वारीसान में वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 14 है जिनको उसके हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा वादग्रस्त भूमि में स्व0 मदनलाल का नाम भी गलत दर्ज चला आ रहा है, उक्त मदनलाल का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में उसके स्थान पर कोई नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है, इसलिये उसके स्थान पर प्रतिवादीगण नं. 10 लगायत 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादीया का विवाह सीताराम के साथ हुआ था, विवाह के कुछ समय बाद ही सीताराम का स्वर्गवास हो गया, इसलिये वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सीताराम के स्थान पर उसकी पत्नी की हैसियत से वादीया का नाम 1/4 हिस्सा में दर्ज हो गया जो बदस्तुर चला आ रहा है। सीताराम के स्वर्गवास के उपरान्त वादीया ने अपने देवर भुदा उर्फ राधेश्याम के साथ पुर्नविवाह कर लिया तथा भुदा उर्फ राधेश्याम से वादीया के दो पुत्र व दो पुत्रियां पैदा हुई जो वाद–पत्र में प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 है, उक्त प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 वादीया व स्व0 भुदा उर्फ राधेश्याम की जायन्दा संतान है। परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में भुदा पुत्र पेमला दर्जशुदा चला आ रहा है, जिसके स्थान पर वादीया व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में मृतक खातेदारो का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीया अपने हिस्से की भूमि पर सरकारी सहायता लेकर भूमि को डवलप करने में असमर्थ है। वादीया ने पटवारी हल्का से दिनांक 11.10.2022 को वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवारी से कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि कोर्ट से आदेश होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड होना सम्भव है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम जाखल में वादीया को हिस्सा 1/4 + 3/40 = 13/40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को हिस्सा 12/40 का तथा प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 को हिस्सा 3/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड से स्व0 गीगा, स्व0 भुदा, स्व0 मदन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है तथा वादीया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड राधेश्याम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। इसलिये वादीया के लिये यह दावा बाबत् घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण वादीया ने पटवारी हल्का से दिनांक 11.10.2022 को वादग्रस्त भूमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की तथा राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु हल्का पटवारी से कहा तो हल्का पटवारी ने कहा कि कोर्ट से आदेश होने पर ही राजस्व रिकॉर्ड होना सम्भव है, हल्का पटवारी के यह बताने के रोज बमुकाम जाखल पैदा हुआ। यह कि दावा न्यायालय को सुनने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

वादिया द्वारा वाद–पत्र मे अनुतोष के संबंध में निवेदन है कि वादग्रस्त खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम जाखल में वादीया को [illegible] 40 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 [illegible] 12/40 का तथा प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 को हिस्सा 3/8 का खातेदार [illegible] के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड राधेश्याम दर्ज किया जावें [illegible] राजस्व रिकॉर्ड से स्व0 गीगा, स्व0 भुदा, स्व0 मदन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर [illegible] त खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार, नवलगढ़ को दिये जावें। अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो और वादीया के हक में पड़ती हो वह दिलवाई जावें। खर्चा मुकदमा दिलवाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:36 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. जे. एम. (क्र. दे.)
नवलगढ़

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 75 बावजूद तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है।

शहादत वादीगण में वादीगण स्वयं उपस्थित होकर अपना मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र पेश किया तथा अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 प्रदर्शित करवाये गये।

शहादत प्रस्तुत होने पर बहस वकील वादीगण एक पक्षीय बगौर सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद–पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराया। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार वादग्रस्त खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर वाके ग्राम जाखल में वादीया को हिस्सा 1/4 + 3/40 = 13/40 का खातेदार काश्तकार तथा प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को हिस्सा 12/40 का तथा प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 को हिस्सा 3/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित है जो कि पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबंदी सम्वत 2075–2078 से प्रमाणित है। वादीया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधेश्याम दर्ज किया जावें एंव गलत रूप से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड से स्व0 गीगा, स्व0 भुदा, स्व0 मदन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाकर घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 से वाद वादीगण पूर्णतया साबित है। फलस्वरूप वाद वादीगण प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

लिहाजा वाद वादिया स्वीकार किया जाता है। वाके ग्राम जाखल की सरहद में वादग्रस्त खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर में वादीया को हिस्सा 1/4 + 3/40 = 13/40 का, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को हिस्सा 12/40 का तथा प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 को हिस्सा 3/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादिया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधेश्याम दर्ज किया जाकर तथा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज स्व0 गीगा, स्व0 भुदा, स्व0 मदन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। निर्णय आज दिनांक 16.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलेक्टर (फास्ट–ट्रेक)
नवलगढ जिला झुन्झुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:36 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़
दमयंती कंवर (आर॰ए॰एस॰) ए॰सी॰ई॰एम॰(फा॰ट्रे॰)

दावा : बाबत विभाजन

मुकदमा सं0:– 201/2022 **(मूली देवी आदि बनाम शंकर लाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर॰ए॰एस॰), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

वाके ग्राम जाखल की सरहद में वादग्रस्त खाता संख्या नया 45 के अन्तर्गत भूमि खसरा नम्बर 521, 522 रकबा क्रमशः 0.06, 0.81 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.87 हैक्टर में वादीया को हिस्सा 1/4 + 3/40 = 13/40 का, प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 4 को हिस्सा 12/40 का तथा प्रतिवादीगण 5 लगायत 14 को हिस्सा 3/8 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादिया के पति का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राधेश्याम दर्ज किया जाकर तथा राजस्व रिकॉर्ड दर्ज स्व0 गीगा, स्व0 भुदा, स्व0 मदन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हजफ किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि घोषित खातेदारी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त कर अमल दरामद करे। खर्चा

जिन...........–............ मुबलिग...........–............बाबत......–...........खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद॰ बशरह.....–.......फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.........का अदा करे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 16.01.2023 को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए॰सी॰ई॰एम॰ (फा॰ट्रे॰) नवलगढ
मोहर

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2023.06.19 13:05:36 IST
Reason: SelfAttested